FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0024 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/10/2023 14:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/10/2023 **Time (समय):** 14:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/10/2023 14:15 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PS ACB FBD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP BHAGAT SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/10/1975 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416632914

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राधेश्याम तकालीन जे0ई0			1. सब डिवीजन सब अर्बन महेन्द्रगढ,कार्यालय XEN विजीलैंस HPUs FBDMAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद ।

श्रीमान जी,

कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 47/08/2023-3 चौकसी-11 दिनांक 12.06.2023 व कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 10813/आई-2/भ्र0नि0ब्यू,(ह0) पंचकूला दिनांक 20.06.2023 अनुसार श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी साहुपुरा तहसील बल्लबगढ जिला फरीदाबाद द्वारा दी गई शिकायत विरूद्ध राधेश्याम हुड्डा, कनिष्ठ अभियन्ता, विजीलैंस एच0पी0यू0एस0, फरीदाबाद व अन्य, तस्दीक हेतू मुझे प्राप्त हुई थी ।

शिकायत की पडताल के दौरान शिकायत व शिकायत के साथ सलंग्न रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी साहुपुरा तहसील बल्लबगढ जिला फरीदाबाद ने अपनी शिकायत में बतलाया हैं कि एक बिजली कनैक्श A/C NO. 8050592000, 195 KW जो उसके पिता जी श्री किशन सिंह के नाम से है। जिसका SDO/DHBVN City-1 बल्लबगढ द्वारा अवैध तरीके से 80 लाख रूपये पिछले दो वर्षो से बनाया हुआ है । जिसका रिडिंग बिल समय पर भर रहे है व इसको ठीक करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र SDO/City-1 बल्लबगढ को दी हुई है । इसी साईट पर दिनांक 5.12.2022 को विजिलैन्स की टीम जिसमें SDO हेतन्त, जे0ई0 राधेश्याम, दीपक हुडडा ALM, CT देविन्द्र आये तथा इनके साथ एक मैडम भी थी । जो गाडी में ही बैठी रही अपना कार्य करती बाकी उक्त सभी लोग गाडी में से नीचे उतर कर आये व उक्त । A/C NO. 8050592000 के ओवर लोड कि एवेज में 60 हजार रूपय मेरे से लिये और बोले कि आपकी कोई LL-1 नही भरी जा रही मौका पर राधेश्याम जे0ई0 को 60 हजार रूपये पकडाये जो उस वक्त हेमन्त SDO दीपक । ALM,CT देविन्द्र भी साथ थे और उस दिन चले गये । उसके बाद 16 जनवरी 2023 को मेरे गांव शाहपुरा मे मेरे नाम से लगे बिजली कनैक्षन । A/C NO. 7226003000 पर दोबारा से हेमन्त SDO, राधेश्याम जे0ई0, CT देविन्द्र, दीपक हुडडा ALM आये और आते ही मीटर चैक किया और उसको ओवर लोड बताने लगे । उसके बाद राधेश्याम जे0ई0 ने हेमन्त SDO के कहने पर दिनेश SDO/City-1 बल्लबगढ को फोन किया जो कुछ देर पष्चात दिनेश SDO भी मौका पर आ गये उसके बाद हमारे बताने पर कि अभी आपके आने से एक घन्टे पहले ही Online बिल निकाल कर दे गया है । जिसमें भी 18 kw लोड श्यो कर रहा है । उसके बाद इन्होने डिस्पले ना होने का हवाला देकर मुकदमा दर्ज करने कि धमकी दी जिसके बाद इन्होने LL-1 NO 13248/45 dt. 16.01.2023 भर दी और इसमें लोड 42.06 kw दर्शाया मीटर उतार कर दूसरा नया लगा दिया जबकि हमने इसे दो माह पूर्व लिखित में SDO/City-1 बल्लबगढ को मीटर डिस्पले खराब कि सूचना कि हुई थी जिसकी फोटोप्रति आपको प्रस्तुत कर दूगा तथा इस LL-1 भरते समय इन्होने दर्शाया हुआ भी है । फिर हेमन्त SDO बोले कि अभी चोरी का मुकदमा और दर्ज करवाना है। फिर राधेश्याम जे0ई0 बोला 5 लाख रूपये अगर देते है तो ठीक है । अगर सिफारिश लगाओगे तो तुम्हारा खेल बिगड जाएगा हेमन्त SDO किसी कि सिफारिश नही मानता फिर मैंने उनसे काफी आग्रह किया उसके बाद राधेश्याम जे0 ई0 के कहने पर सिपाही देवन्द्र ने मेरे दोनो फोन छीन कर रख लिये फिर मेने आस-पडोस से एक लाख 95 हजार रूपये इक्टठे किये जो मेने राधेश्याम जे0ई0 व हेमन्त SDO को कहा कि मेरे से इतने ही रूपये वन पाए है । जो मैं राधेश्याम जे0ई0 को देने लगा तो बोला कि ऐसे नही कागज में लपेटकर लाओ फिर मैं मेरे मामा जी के लडके सूरजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह की गाडी करीब 20 मीटर दूर पर खडी गाडी वरना न0 HR30-S7777 में बैठ कर गाडी मे पडे कागज मे 1,95000 रूपये लपेटे जो गाडी के पास जे0ई0 राधेश्याम आया और मैने उन रूपयो को जे0ई0 राधेश्याम को पकडा दिये जिन्होने पहने हुई जीन्स पेंट कि जेब में रखने चाहे जो जेब में नही आए तो फिर अपनी पहने हुई जेकेट के अन्दर जेब में रखे और कुछ दूरी पर खडे हेमन्त SDO दीपक । ALM,CT देविन्द्र भी दिनेश कुमार SDO/City-1 कि तरफ चला गया और मौका से व सभी लोग चले गये । इस घटना कि फोटो मेरे मामा जी के लडके सूरजेन्द्र के पास कि फस्ट फ्लोर से विडियो बनाई थी जो मैने एक विडियो CD शिकायत के साथ भी भेजी थी और एक PENDRIVE भी प्रस्तुत किया । इस मैटर की शिकायत व विडियो XEN VIGILANCE श्रीमति शालिनी पन्नू को मेरे साथी श्री प्रिन्स शर्मा ने अपने फोन न0 7428913838 से WHATSAPP द्वारा भेजी थी व उससे पहले उन्होनें XEN मैडम से एक दो बार इस मैटर बारे मिलने के लिए समय मांगा परन्तु समय नही दिया। अतः श्रीमान जी मेरे उपर अनावश्यक दवाब बनाया, डराया गया जो मैं परेशान होकर इन लोगो से पीछा छुडवाने के लिये मजबूरन 1,95000/- रूपये देने पडे जिन्होने मेरे साथ बहुत गलत किया है । इन लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने कि कृप्या करे ।

जिस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री बलजीत द्वारा अपने दोस्त प्रिंस के मोबाईल से घटना की वीडियो फुटेज सम्बन्धित

कार्यकारी अभियन्ता, बिजली विभाग, फरीदाबाद श्रीमती शालिनी पन्नू को भेजी पाई पाई गई तथा उस पर कार्यकारी अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.01.2023 को वीडियों फुटेज पर आगामी कार्यवाही की जानी पाई गई । जिस पर श्री रमेश कुमार, ह0पु0से0,उप पुलिस अधीक्षक, विजीलैंस,HPUs सैक्टर-23, फरीदाबाद द्वारा महानिरीक्षक-कम-निदेशक, विजीलैंस, HPUs पंचकूला के आदेश पर जांच क्रमांक 544/Supdt.HPUs P.NO 47/FBD/2023 dt. 07.02.2023 702/Supdt. HPUs P.NO 47/FBD/2023 dt. 20.02.2023 अनुसार श्री राधेश्याम हुड्डा जे0ई0, श्री हेमन्त कुमार एस0डी0ओ0, सिपाही देवेन्द्र कुमार नं0 5/624/एच0ए0पी0 कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता विजीलैंस HPUs फरीदाबाद व श्री दिनेश कुमार एस0डी0ओ0 सब डिवीजन सिटी-1 बल्लबगढ फरीदाबाद के विरूद्ध तस्दीक की जा चुकी है । जिसमें सम्बन्धित के कथन अंकित किये जाकर जांच रिपोर्ट तैयार की जानी पाई गई, जिसमें जांच अधिकारी श्री रमेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, विजीलैंस, HPUs द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि राधेश्याम जेई सब डिवीजन सब अर्बन महेन्द्रगढ तत्कालीन जेई कार्यालय XEN विजीलैंस, HPUs फरीदाबाद द्वारा एकान्त में बिजली उपभोक्ता बलजीत सिंह से प्राईवेट कार नं0 HR-30-S-7777 से गुप-चुप तरीके से कागज में लपेट कर मूल्यवान वस्तु का आदान-प्रदान किया है, उक्त मूल्यवान वस्तु रुपये ही हो सकते है । जो कि वीडियो मैं ZOON करके देखे गये है । इसलिए राधेश्याम जे0ई0 के विरूद SECTION 7 PC ACT 1988 के तहत अभियोग दर्ज करवाकर तफतीश करने की आवश्यकता है । जो कि स्टेट विजीलैंस ब्यूरो की जद में आता है । जो जांच अधिकारी श्री रमेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, विजीलैंस, HPUs द्वारा अपनी जांच अन्तिम रिपोर्ट पत्र क्रमांक 38/DSP/VIG/ HPUs/FBD दिनांक 15.03.2023 अनुसार कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक-कम-निदेशक, विजीलैंस HPUs पंचकूला को भेजी जानी पाई गई । इसके पश्चात जांच रिपोर्ट कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विजीलैंस, HPUs पंचकूला के माध्यम से मुख्य सचिव, विजीलैंस, हरियाणा चण्डीगढ को पत्र क्रमांक 1391/VO/P.NO.47/FBD/2022 दिनांक 13.04.2023 अनुसार शिकायत की तस्दीक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा द्वारा करवाये जाने की सिफारिश सहित भेजी जानी पाई गई ।

शिकायत की पडताल के दौरान शिकायत व सम्बन्धित रिकार्ड में पूर्व जांच अधिकारी श्री रमेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, विजीलैंस, HPUs सैक्टर-23,फरीदाबाद द्वारा अंकित किये गये कथनों, हासिल किये प्रलेखों व की गई पडताल से व शिकायत में लगी सी0डी0 के अवलोकन से पाया गया है कि शिकायतकर्ता बलजीत सिंह के बिजली कनैशन खाता नं0 7226003000 को दिनांक 16.01.2023 को श्री हेमन्त एस0डी0ओ0, श्री राधेषश्याम जे0ई0, श्री दीपक हुड्डा ए0एल0एम0 व सिपाही देवेन्द्र की टीम द्वारा चैक किया गया तथा जिसमें कमी पाई जाने पर चैकिंग टीम द्वारा LL-1 NO 13248/45 दिनांक 16.01.2023 को भरी जानी पाई गई है तथा शिकायत के साथ सलंग्न वीडियो सीडी मे शिकायतकर्ता बलजीत सिंह प्राईवेट कार नं0 HR-03-S-7777 में बैंठकर रूपये गिनता हुआ साफ दिखाई दिया तथा शिकायतकर्ता द्वारा रूपये गिनने के बाद कागज में लपेट कर गाडी के बाहर घूम रहे राधेश्याम जे0ई0 को देते हुये दिखाई दिया । कागज में लिपटे रूपयो को राधेश्याम जे0ई0 द्वारा अपनी पहनी हुई जैकेट की चैन खोलकर सुरक्षित तौर पर रखा गया । इससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा राधेश्याम जे0ई0 पर रिश्वत लेने बारे जो आरोप लगाया है, उसमें सच्चाई है । जो राधेश्याम जे0ई0 सब डिवीजन सब अर्बन महेन्द्रगढ तत्कालीन जे0ई0 कार्यालय XEN विजीलैंस, HPUs फरीदाबाद द्वारा एक सरकारी कर्मचारी होते हुये अपने सरकारी कर्तव्य निर्वहन में शिकायतकर्ता बलजीत सिंह उपरोक्त से उसके उपर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाकर रिश्वत मांगकर व रिश्वत लेकर एक अपराधिक कृत्य किया है । राधेश्याम जेई उपरोक्त के द्वारा धारा 7, 13(1)(B), r/w 13(2) PC Act1988 का अपराध किया जाना पाया गया है । जो तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा मोहर्र थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद के पास अभियोग अंकित करते हेतू भेजी जा रही है। जो बाद करके अभियोग अंकित, अभियोग संख्या से सूचित किया जाये तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके बदस्त स्पेशल वाहक ईलाका मैजिस्ट्रैट व उच्च अधिकारीगण के पास भिजवाई जाये तथा अभियोग के अनुसंधान हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाये । अनुसंधान के दौरान अगर विजीलैंस HPUs फरीदाबाद के अन्य अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये । स्थान:- PS ACB FBD SD. Bhagat Singh Insp. (भगत सिंह), निरीक्षकथाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद Dt. 09.10.2023 At. 1:30 PM. अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 24 दिनांक 09.10.2023 U/S 7, 13(1)(B), r/w 13(2) PC Act1988 PS ACB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल HC बृजपाल न0 438/पलवल के की जाकर ईलाका मजिस्ट्रैट वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आईन्दा आग्रामी कार्यावाही हेतू I/O INSP राकेश कुमार के हवाले की जायेगी । नोट:- यह मुकदमा INSP राजकुमार की हाजरी में

दर्ज किया जा रहा है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** RAKESH Kumar (I (Inspector))/1 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAKESH Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.